अनुबंध 2

वर्तमान तथा पुरानी श्रंखला के रू. 500/- तथा रू. 1000/- मूल्यवर्ग के बैंकनोटों की वैध मुद्रा विशेषता को वापस लेना

योजना की मुख्य विशेषताएँ

1. भारत सरकार द्वारा दिनांक 08 नवंबर 2016 को जारी गज़ट अधिसूचना सं. एफ.सं. 10/3/2016-सीवाई.I के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 08 नवंबर तक जारी रु.500 तथा रु.1000 मूल्यवर्ग के मौजूदा श्रृखंला के बैंक नोट तथा अन्य कोई पुरानी श्रृखंला के बैंक नोट (इसके पश्चात पुराने उच्च मूल्यवर्ग के बैंक नोटों के रूप में उल्लिखित) को दिनांक 08 नवंबर 2016 को मध्यरात्रि से, किसी भी स्थान पर भुगतान या खाते पर, वैध मुद्रा नहीं रहेंगे ।
2. बैंक अथवा सरकारी खजाने के अतिरिक्त किसी व्यक्ति के पास रखे हुए पुराने उच्च मूल्यवर्ग के बैंक नोटों को भारतीय रिजर्व बैंक के 19 निर्गम कार्यालयों और सरकारी बैंकों की सभी शाखाओं, निजी क्षेत्र के बैंकों, विदेशी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, शहरी सहकारी बैंकों एवं राज्य सहकारी बैंकों से दिनांक 30 दिसंबर 2016 तक अन्य मूल्यवर्ग के वैध बैंक नोटों में निम्न शर्तों के अधीन बदल सकते हैं :

(क) किसी व्यक्ति द्वारा कुल रू. 4000/- तक की राशि, अनुबंध 5 में उल्लिखित मांगपत्र को भरकर एवं वैध पहचान पत्र (जैसा कि अनुबंध 5 में दर्शाया गया है) प्रस्तुत कर पुराने उच्च मूल्यवर्ग के बैंकनोटों को किसी भी बैंक की शाखा अथवा भारतीय रिजर्व बैंक के निर्गम कार्यालय से अन्य मूल्यवर्ग के बैंक नोटों से बदल सकते हैं । प्रत्येक व्यक्ति समग्र रूप से रु 4000/- बदल सकता है।

(ख) यदि पुराने उच्च मूल्यवर्ग के बैंक नोटों का समग्र मूल्य रू. 4000/- से अधिक है तो इस राशि को जमाकर्ता के खाते, जो उस बैंक में है जहां उच्च मूल्यवर्ग के पुराने नोट प्रस्तुत किए गए, में जमा किया जाएगा । बैंक शाखाओं एवं भारतीय रिजर्व बैंक के निर्गम कार्यालयों में, रु. 4000/- तक पुराने उच्च मूल्यवर्ग के बैंक नोटों को बदलने की सीमा की समीक्षा, 15 दिनों के उपरांत की जाएगी।

(ग) निविदाकर्ता के प्रत्यय किए गए विनिर्दिष्ट बैंक के खाते में, जो उस बैंक में है जहां उच्च मूल्यवर्ग के पुराने नोट प्रस्तुत किए गए, नोटों की मात्रा या मूल्य पर कोई सीमा नहीं होगी ।

(घ) पुराने उच्च मूल्यवर्ग के बैंकनोटों के समान मूल्य मानक बैंकिंग प्रक्रिया के अनुसार वैध पहचान प्रमाण प्रस्तुत करने के उपरांत, उस बैंक में निविदाकर्ता के खाते में जमा किया जा सकता है ।

(ङ) पुराने उच्च मूल्यवर्ग के बैंक नोटों का समतुल्य मूल्य किसी दूसरे व्यक्ति अथवा संस्था (तृतीय पक्ष खाता) के खाते में जमा किया जा सकता है, बशर्ते खाता धारक से विशिष्ट प्राधिकार पत्र और जमाकर्ता का पहचान प्रमाण बैंक को प्रस्तुत किया जाता है । ऐसे लेन-देन हेतु लागू मानक बैंकिंग प्रक्रिया का अनुसरण करें।

(च) ऐसे खातों में जहां अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) संबंधी वर्तमान मानदंडों का अनुपालन पूर्ण नहीं किया गया है, अधिकतम रु.50000 मूल्य के पुराने उच्च मूल्यवर्ग के बैंक नोट जमा किए जा सकते है।

(छ) प्रथम पखवाड़े तक काउंटर पर बैंक खाते से नकदी आहरण रु.10000 तक और प्रथम सप्ताह में कुल आहरण रु.20000 तक सीमित किया गया है। इसके अतिरिक्त, इस अवधि के दौरान जमाकर्ता द्वारा अपने स्वयं के खाते (एटीएम से आहारित राशि सहित) से साप्ताहिक आहरण हेतु रु.20000 की सीमा भी होगी।

(ज) खाता परिचालन के किसी भी गैर-नकदी लेन-देन के उपयोग, जिसमें चेक, डिमांड ड्राफ्ट, क्रेडिट/ डेबिट कार्ड, मोबाइल बटुआ तथा इलेक्ट्रोनिक फ़ंड अंतरण व्यवस्था शामिल है, पर कोई रोक नहीं होगी ।

(झ) एटीएम से 18 नवंबर 2016 तक प्रति कार्ड प्रति दिन अधिकतम रु.2000 संवितरण करने की सीमा होगी । 19 नवंबर 2016 से इस सीमा को प्रति कार्ड प्रति दिन रु.4000/- तक बढ़ाया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक से आगामी अनुदेश प्राप्त होने तक सभी एटीएम केवल रु.100 तथा रु.50 के मूल्यवर्गों के नोट ही वितरित करेंगे ।

(ञ) वे लोग जो 30 दिसंबर, 2016 तक अपने पुराने उच्च मूल्यवर्ग के नोटों का विनिमय नही कर पाते है, उन्हें इसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक के विनिर्दिष्ट कार्यालयों पर 31 मार्च, 2017 तक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट आवश्यक दस्तावेजों के साथ जमा करने का अवसर दिया जाएगा ।